प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 14.04.2025

क्राईम ब्रॉन्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना भोजपुर पुलिस द्वारा थाना भोजपुर क्षेत्र में हुई हत्या के प्रयास व लूट की घटनाओं को कारित करने वाले 03 शातिर अपराधी बाद पुलिस मुठभेड गिरफ्तार व नाजायज असलहे व नगदी बरामद

दिनांकः- 26/27-03-2025 की रात्रि करीब 21.30 बजे ग्राम अमराला थाना भोजपुर क्षेत्र में श्री रजनीश शर्मा जो अपनी बहन व पत्नी के साथ गाँव के बाहर टहल रहे थे तभी अज्ञात अभियुक्तों द्वारा लूट करने के उद्देश्य से उनके साथ मारपीट करते हुए श्री रजनीश शर्मा को गोली मारकर घायल कर दिया गया था तथा महिलाओं से कुण्डल लूट लिए गये थे तथा उसी रात करीब 23.30 बजे 3-4 अज्ञात अभियुक्तों ने श्री अजीत कुमार को भी गोली मार दी थी जिससे वो घायल हो गये थे तथा उसी रात अज्ञात अभियुक्तों द्वारा नगलाबैर मढैया थाना क्षेत्र भोजपुर में प्रातः करीब 04.00 बजे के आस-पास चौधरी वीरेन्द्र सिंह के घर में घुस कर उनकी पत्नी के कान के कुण्डल छीने लिये गये थे। उक्त घटनाओं के सम्बन्ध मे थाना भोजपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में कार्यवाही करते हुए दिनाँक- 13/14-04-2025 की रात्रि में क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद एवं थाना भोजपुर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में उपरोक्त ग्राम अमराला व नगला बैर मे हुई हत्या के प्रयास व लूट की सनसनीखेज घटना का अनावरण करते हुए चोरी/लूट/डकैती की घटना करने वाले शातिर गिरोह के सक्रिय सदस्यों से हुई मुठभेड में 01 शातिर अपराधी घायल अवस्था में एंव गिरोह के 02 अन्य सदस्य मौके से गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से मुठभेड में प्रयुक्त नाजायज असलहे व बरामद हुए। अभियुक्तगणों से उपरोक्त घटनाओं से सम्बन्धित लूटे गये कुण्डलों को बेच कर हिस्से मे आयी नगदी बरामद ।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त भारत व पदम उर्फ विष्णु ने बताया कि ये लोग ग्राम ईशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर के रहने वाले है ,ये लोग अनपढ है। इनका एक अपना गिरोह है। इनके गाँव के ज्यादातर लोग देश भर मे घूम-घूमकर मेलों व बाजारों आदि में खुर्जा की बनी हुई चीनी मिट्टी के बर्तन बेचते है, फेरी लगाने या मेंलों मे दुकान लगाने के दौरान ये लोग दिन में उस क्षेत्र की रैकी कर लेते है और रात्रि में असलहा लेकर चोरी/लूट/डकैती की घटनाऐं करते है, यदि कोई विरोध करता है तो गोली मारकर भाग जाते है। पूछताछ पर अभियुक्तों ने यह भी बताया कि ये लोग सीकरी मोदीनगर के मेले में चीनी मिट्टी के बने बर्तनो को बेचने के बहाने आये थे घटना करने से पहले अभियुक्त भारत, पदम उर्फ विष्णु, इतवारी तथा अवतार नें दिन में आस-पास के क्षेत्रों में चीनी मिट्टी से बने बर्तनो को रेहडी पर रखकर फेरी लगाते हुए रैकी की और ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जो गाँव के बाहर की तरफ थे और घटना करने के बाद वहाँ से आसानी से भागा जा सके। रात्रि में ये लोग असलहों से लैस होकर अमराला गाँव के बाहर पहुँचे और सडक के किनारें गन्ने के खेत मे छिपकर घटना करने के लिए सही समय का इन्तजार करने लगे इसी बीच एक व्यक्ति 02 महिलाओं के साथ गाँव के बाहर सडक पर आता दिखायी दिया जिनको इनके द्वारा लूटने का प्रयास किया परन्तु उक्त व्यक्ति द्वारा विरोध करने पर उसे गोली मारकर गन्ने के खेतों के बीच से होते हुए गाँव के दूसरी ओर जाकर खेतो में छिपे रहे। काफी इन्तजार करने के बाद अमराला गाँव के ही बाहर बने एक मकान को खोलने का प्रयास किया कि तभी दूसरे मकान से एक व्यक्ति गेट खोलकर बाहर निकला और उसके खासने की आवाज पर उसको भी गोली मारकर खेतों के रास्ते भाग गये और पैदल-पैदल पास के दूसरे गाँव नगलाबैर की तरफ गये और वहाँ गाँव के बाहर की तरफ बने मकान के गेट का कुण्डा खोलकर अन्दर घुस गये वहाँ एक महिला सो रही थी जिसके दोनो कानों के कुण्डल खीच कर भाग गये थे और वहाँ से भागकर सीधे मोदीनगर सीकरी मेले में पहुँच गये। आज हम लोग पुनः घटना करने जा रहे थे कि पकडे गये।

अभियुक्तगण काफी शातिर किस्म के आदतन अपराधी हैं जो पूरे देश में घूम-घूम कर चोरी/लूट/डकैती की वारदातें करते है और घटना को अंजाम देने के बाद वहाँ से भाग जाते है। अभियुक्तगणों से मिली जानकारी के आधार पर फरार अभियुक्त अवतार की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीमें बनाकर कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.इतवारी पुत्र रामनाथ उर्फ रामलाल निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही जनपद-शाहजहाँपुर उम्र करीब 27 वर्ष (घायल)

2.भारत पुत्र मोती निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही जनपद-शाहजहाँपुर उम्र करीब 37 वर्ष

3.पदम उर्फ विष्णु पुत्र महकूलाल निवासी निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही जनपद-शाहजहाँपुर उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1.नाजायज तमंचा 315 बोर- 02 अदद
2.जिन्दा कारतूस 315 बोर- 04 अदद
3.खोखा कारतूस 315 बोर- 01 अदद
4.घटना से सम्बन्धित माल को बेचकर मिले रूपये 2,500/-

आपराधिक इतिहासः-

1.अभियुक्त इतवारी के विरूद्ध कन्नौज में 04 व गाजियाबाद में 04 अभियोग कुल 08 अभियोग पंजीकृत है।
2.अभियुक्त भारत के विरूद्ध कानपुर मे 02, महोबा में 01 व गाजियाबाद में 04 कुल 07 अभियोग पंजीकृत है।
3.अभियुक्त पदम उर्फ विष्णु के विरूद्ध गाजियाबाद में 04 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

1.क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद
2.थाना भोजपुर पुलिस

प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के तीनों जोन के सभी थाना क्षेत्रों में दिनांक 13.04.25 को शाम 06:30 बजे से लेकर 10:00 बजे तक शराब ठेकों के आसपास व सड़क के किनारे सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की चेकिंग का एक सघन अभियान चलाया गया, जिसमें ऐसे 584 व्यक्तियों को, जिनके द्वारा सार्वजनिक रूप से खुलेआम सड़क पर शराब का सेवन किया जा रहा था, जिससे वहां आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उक्त सभी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया व उनका मेडिकल कराते हुए 34 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान किया गया। इस अभियान में सभी सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गयी।

जोनवार चालान की स्थिति निम्नवत रही –

नगर जोन-256 , ट्रांस हिंडन जोन-146 , तथा ग्रामीण जोन-182 कुल -584 व्यक्तियों के विरुद्ध 34 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई गयी।

प्रेस नोट

दिनांक 14 अप्रैल 1944 को मुम्बई बन्दरगाह पर घटित भीषण अग्निकाण्ड मे 66 अग्निशमन कर्मियो ने अपने प्राणो की आहूति दी थी, उन दिवंगत अग्निशमन कर्मियो को श्रद्वांजलि अर्पित करने के लिये कमिश्नरेट गाजियाबाद के फायर स्टेशन वैशाली पर श्री अमन शर्मा, उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र की उपस्थिति मे तथा अन्य फायर स्टेशनों पर उपस्थित कर्मियो द्वारा प्रातः 08.00 बजे दो मिनट का मौन धारण कर शोक परेड आयोजित की गई तथा "अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस" मनाया गया। इसी क्रम मे 14 से 20 अप्रैल तक मनाये जा रहे "अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह" के दौरान आज दिनाकं 14 अप्रैल को प्रातः 11.00 बजे फायर स्टेशन वैशाली गाजियाबाद से श्री राजेश कुमार, पुलिस उपायुक्त नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा हरी झंडी दिखाकर अग्निशमन

केन्द्रो के वाहनो की रैली को प्रचार-प्रसार/जन-जागरूकता अभियान हेतु रवाना किया गया है। तथा अग्निशमन एवं रेस्क्यू कार्यो हेतु मुख्यालय अग्निशमन तथा आपात सेवा उ0प्र0 द्वारा अग्निशमन सेवा गाजियाबाद को उपलब्ध कराये गये अत्याधुनिक उपकरण जिनको प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शित किया गया है, का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त नगर द्वारा बताया गया कि अग्नि सुरक्षा सप्ताह का मुख्य उद्देश्य जनता का ध्यान अग्नि से दुष्परिणामों की ओर आकर्षित करना एवं उन्हें अग्नि से बचाव एवं रोकथाम के उपायों के सम्बन्ध मे अवगत कराना तथा जनजागृति पैदा करना है । प्रायः देखा गया कि 80 प्रतिशत अग्नि दुर्घटनाएं अग्नि सुरक्षा उपायों की जानकारी के अभाव एवं लापरवाही के कारण घटित होती है। अग्नि दुर्घटनाओं को कम करने एवं रोकने के उददेश्य से आज अग्निशमन वाहनो/कर्मचारियो की जागरूकता रैली निकाली जा रही है जो शहर के विभिन्न हिस्सो में अग्नि सुरक्षा उपायों का प्रचार-प्रसार करते हुये पम्पलेट आदि का वितरण करेगी तथा अग्निशमन विभाग गाजियाबाद द्वारा सप्ताह में स्कूलों, कालिजों, सार्वजनिक स्थानो जैसे मॉल मल्टीप्लैक्स, बहुमंजली भवनो, औद्योगिक प्रतिष्ठानो आदि मे जन-जागरूकता अभियान चलाकर प्रचार-प्रसार करते हुये आम जनता को अग्नि से सुरक्षा एवं बचाव की जानकारी प्रदान की जायेगी । प्रचार-प्रसार हेतु रवाना की गई रैली द्वारा शहर के विभिन्न स्थानो पर प्रचार-प्रसार करते हुये पम्पलेट आदि का वितरण किया गया ।